Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2012
(PHALGUNA 5, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2012

No. 7—HLA of 2012/10.—The Punjab Village Common Lands (Regulation Haryana Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 7—HLA of 2012

THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows: —

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Act, 2012.

Amendment of section 2 of Punjab Act 18 of 1961.

2. For clause (a) of Section 2 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) "Assistant Collector of the first grade" means an Assistant Collector of the first grade and includes any other officer empowered by the State Government to exercise the powers and perform the duties of Assistant Collector of first grade under this Act;'.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the provision of Section 2 (a) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 the powers of Assistant Collector of the first grade can be used only by the Sub Divisional Officer(C), City Magistrate and District Revenue Officer, while Departmental Officers *i.e.* District Development and Panchayat Officers and Deputy Chief Executive Officers of Zila Parishad are not authorized to use these powers. To ensure the timely disposal of eviction proceedings regarding shamilat land, it is necessary to empower these officers to use the powers of Assistant Collector first grade. It is, therefore, proposed to amend the Section 2 (a) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961.

Hence, this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th February, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 7-एच० एल० ए०

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2012

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष मे हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

सक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

1961 के पजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का सशोधन।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी" से अभिप्राय है, सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी तथा इसमें शामिल है, इस अधिनियम के अधीन सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य अधिकारी;'।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 की धारा 2 (क) के प्रावधान अनुसार सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग केवल उप मण्डल अधिकारी (ना०), नगराधीश और जिला राजस्व अधिकारी ही कर सकते हैं जबकि विभागीय अधिकारियों जैसे कि ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज़िला परिषद् सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियो का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। शामलात भूमि के सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिकारियों को भी सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए उन्हे सशक्त करना आवश्यक है। अतः पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 (क) में संशोधन करना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़
24 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।